भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3462

(दिनांक 25.03.2021 को उत्तर के लिए)

नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाया जाना

3462. श्री संजय राउत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन सभी पात्र बेरोजगार युवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में दो वर्षों तक की वृद्धि करने पर विचार कर रही है जो केन्द्रीय और राज्य सरकार की नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोविड-19 महामारी और देश में लगे लॉकडाउन के कारण अपना मौका खो दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : केन्द्र सरकार के पदों पर भर्ती के लिए, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) जैसी भर्ती एजेंसियाँ कोविड-19 महामारी सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित तरीके से परीक्षाओं का संचालन करवाने के लिए आवश्यक प्रबंध करती रही है। दिनांक 04.10.2020 को सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2020 का संचालन करते समय, यूपीएससी ने उम्मीदवारों को सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2020 के लिए केन्द्र में परिवर्तन करने का भी विकल्प दिया था, ताकि जो उम्मीदवार कोविड-19 महामारी से पहले/के दौरान दूसरे स्थानों पर चले गए थे वे भी परीक्षा में भाग ले सके। इस प्रकार, देश में महामारी और लॉकडाउन के कारण केन्द्र सरकार के अधीन विभिन्न श्रेणियों वाले पदों के लिए भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जहां तक सभी पात्र बेरोजगार युवकों, जो कि राज्य सरकार में नौकरी की तलाश कर रहे है, के लिए अधिकतम आयु सीमा दो वर्ष तक बढ़ाने का संबंध है, इस पर संबंधित राज्य सरकार को निर्णय लेना है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3462
(TO BE ANSWERED ON 25.03.2021)

RAISING OF MAXIMUM AGE LIMIT FOR JOB ASPIRANTS

3462 SHRI SANJAY RAUT:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) whether Government is considering to increase maximum age limit by two years for all the eligible unemployed youths, who are seeking Central and State Government jobs as they lost their chances due to COVID-19 pandemic and lockdown in the country;
(b) if so, the details thereof ; and
(c) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (c): For recruitment to Central Government posts, the recruiting agencies, such as the Union Public Service Commission (UPSC), have been making necessary arrangements for conduct of examinations in a safe manner considering the COVID-19 Pandemic safety protocols. While conducting Civil Services (Preliminary) Examination-2020 on 04.10.2020, the UPSC also gave an option to the candidates to change the centre for Civil Services (Preliminary) Examination-2020 so that candidates who had moved to a different location before/during the COVID-19 pandemic could also appear in the Examination. As such, the need for increasing the maximum age limit for recruitment to various categories of posts under the Central Government, due to the pandemic and lockdown in the country, does not arise. Insofar as the increase in maximum age limit by two years for all the eligible unemployed youths, who are seeking State Government jobs is concerned, it is for the concerned State Governments to decide.

*****